

23.12.21

पञ्जाबी पेश दुई। पञ्जाबी का भवलोका
दिल्ल गण। एमएम०, नागौर के रूपके पत्र क्रमांक
680 दिनांक 22.12.21 के द्वारा पञ्जाबी के
मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण को
निरस्त करने का निवेदन किया। जिस
पर 3 नवम्बर दुना गण। प्रार्थी का प्रो. पत्र
दि. 22.12.21 स्वीकार कर प्रकरण के
कोई कार्रवाई होय नहीं होने के प्रकरण
में कार्रवाई हाज्ज बंद की जाती है। पञ्जाबी
केवल शुभार हो केवल केवल होकर
गाविल दफ्तर है।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)